न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाडा

(पीठासीन अधिकारी रणजीत सिंह आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 238/2020 – निगरानी

1. ग्राम पंचायत परासोली बनाम जरिये ग्राम विकास अधिकारी रमेश कुमार (सचिव) ग्राम पंचायत परासौली पंचायत समिति आसीन्द जिला भीलवाडा

1. उगमा लाल पिता बालूराम कुमावत निवासी नई परासौली तहसील आसीन्द मृतक के बजाय –
   1/1 गोपाल पुत्र उगमा लाल निवासी परासौली
   1/2 कंकू देवी पुत्री उगमा लाल निवासी परासौली
   1/3 सीता पुत्री उगमा लाल निवासी परासौली
   1/4 लेहरी पत्नी उगमा लाल निवासी परासौली
2. किशन नायक पिता रतन लाल नायक निवासी कंवलियास पूर्व सचिव ग्राम पंचायत परासौली हाल ग्राम विकास अधिकारी जगपुरा ग्राम पंचायत जगपुरा पंचायत समिति आसीन्द तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा

–निगराकार

– गैर निगराकार

निगरानी आवेदन पत्र अंन्तर्गत धारा 97 पंचायत राज संसोधित अधिनियम 1994 बाबत् ग्राम पंचायत परासोली द्वारा दिनांक 05.09.2019 को जारी पटटे को निरस्त कराये जाने बाबत्

उपस्थित –

1. श्री मांगीलाल सेन अधिवक्ता – निगराकार की ओर से
2. श्री जगदीश चन्द्र दाधीच अधिवक्ता –गैर निगराकार संख्या 1/1 से 1/4 की ओर से

निर्णय

दिनांक 13.11.2025

निगराकार की ओर से यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम विरूद्व गैर निगराकारान के प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विपक्षी के नाम पर पैतृक जायदाद मानते हुये पटटा पुराने गृहों का विनियमितिकरण के आधार पर दिनांक 05.09.2019 को जारी किया गया जो विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त होने लायक हैं। विवादित भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग ब्यावर अजमेर मुख्य मार्ग पर स्थित हैं जो कि मेन हाईवे पर स्थित हैं, जिसे अधीनस्थ

13.11.25
अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

न्यायालय ने मात्र 200/– रूपये मे पैतृक मकान बताकर पटटा जारी करवा लिया, जिससे ग्राम पंचायत को करोडों रूपयों की राजस्व हानि हुयी है। ग्राम पंचायत परासोली द्वारा विवादित भूखण्ड का जो पटटा जारी किया गया जिसमें पत्रावली कायम नही की गयी एवं मात्र पटटे में अंकित कर दिया कि प्रस्ताव संख्या 01 दिनांक 05.09.2019 की अनुपालना में पटटा जारी किया गया जिसमें पुराना कब्जा मानते हुये पुराने गृहों के विनियमितिकरण के तहत पटटा जारी किया गया जिसमें पडौस भी मेल नही खा रहे हैं, तथा ग्राम पंचायत की खाली पडी हुयी भूमि में भूखण्डों का कानूनन पटटा पैतृक भूमि मानकर पटटा जारी नही किया जा सकता हैं जो कानूनन गलत होकर अवैध हैं। पत्रावली कायम किये बिना ही अवैध रूप से पटटा जारी किया गया जिसकी जानकारी निगराकार को मौके पर निर्माण कार्य प्रारम्भ किया तब हुयी। अतः निवेदन हैं कि ग्राम पंचायत परासोली द्वारा दिनांक 05.09.2019 को विपक्षी संख्या 01 के पक्ष में जारी किया गया पटटा निरस्त किया जावे।

प्रस्तुत निगरानी पंजीबद्व की जाकर विपक्षी को नोटिस जारी किये गये। प्रकरण में उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी। विपक्षी संख्या 01 की ओर से लिखित बहस पेश की गयी।

निगराकार ने अपनी बहस में निगरानी मेमों में प्रस्तुत तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विपक्षी के नाम पर पैतृक जायदाद मानते हुये पटटा पुराने गृहों का विनियमितिकरण के आधार पर दिनांक 05.09.2019 को जारी किया गया जो विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त होने लायक हैं। विवादित भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग ब्यावर अजमेर मुख्य मार्ग पर स्थित हैं जो कि मेन हाईवे पर स्थित हैं, जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने मात्र 200/– रूपये मे पैतृक मकान बताकर पटटा जारी करवा लिया, जिससे ग्राम पंचायत को करोडों रूपयों की राजस्व हानि हुयी है। ग्राम पंचायत परासोली द्वारा विवादित भूखण्ड का जो पटटा जारी किया गया जिसमें पत्रावली कायम नही की गयी एवं मात्र पटटे में अंकित कर दिया कि प्रस्ताव संख्या 01 दिनांक 05.09.2019 की अनुपालना में पटटा जारी किया गया जिसमें पुराना कब्जा मानते हुये पुराने गृहों के विनियमितिकरण के तहत पटटा जारी किया गया जिसमें पडौस भी मेल नही खा रहे हैं, तथा ग्राम पंचायत की खाली पडी हुयी भूमि में

13.11.25
अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

भूखण्डों का कानूनन पटटा पैतृक भूमि मानकर पटटा जारी नही किया जा सकता हैं जो कानूनन गलत होकर अवैध हैं। पत्रावली कायम किये बिना ही अवैध रूप से पटटा जारी किया गया जिसकी जानकारी निगराकार को मौके पर निर्माण कार्य प्रारम्भ किया तब हुयी। अतः निवेदन हैं कि ग्राम पंचायत परासोली द्वारा दिनांक 05.09.2019 को विपक्षी संख्या 01 के पक्ष में जारी किया गया पटटा निरस्त किया जावे। निगरकार अधिवक्ता द्वारा पूर्व निर्णयों की प्रति पेश की गयी।

गैर निगराकार संख्या 1/1 लगायत 1/4 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में लिखित बहस के तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि ग्राम परासोली तहसील आसीन्द में स्थित प्रश्नगत जायदाद नपती 20 फीट बाई 20 फीट विपक्षी की पुश्तैनी जायदाद है, जिस पर विपक्षी अपने पूर्वजों के समय से ही काबिज हो उपयोग–उपभोग करता चला आ रहा है। विपक्षी के पक्ष में पंचायती राज अधिनियम के प्रावधानों की पालना करते हुए विधि अनुसार पट्टा जारी किया गया है। ग्राम पंचायत ने राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के प्रावधानों, आपैचारिकताओं एवं विधिक प्रक्रिया का पालन करते हुए विपक्षी के पक्ष में विधिवत पट्टा जारी किया है। ग्राम पंचायत ने पत्रावली संधारित कर पट्टा जारी करने हेतु तय नियमों एवं प्रक्रियाओं का पालन करते हुए उक्त पट्टा जारी किया है। उक्त पट्टा जारी होने के पश्चात ग्राम पंचायत द्वारा उक्त पट्टे का विधिवत् पंजीयन विपक्षी के पक्ष में करवाया गया। निगराकार प्रार्थी को यह निगरानी प्रस्तुत करने की कोई लोकस स्टण्डाई नही है, जिससे भी यह निगरानी निरस्त होने योग्य है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा गोपाल पटेल बनाम राजस्थान राज्य 2021(1) डीएनजे पेज 186 पर यह मत प्रतिपादित किया कि रजिस्टर्ड पटटे को डिस्ट्रीक्ट कलेक्टर और अन्य रिविजनल ऑथोरिटी अपने रिविजनल क्षैत्राधिकार में होने वाली रिविजन पर विचार करते समय रजिस्टर्ड पटटे को सेट असाईड नही किया जा सकता है। अतः प्रार्थना है कि निगराकार प्रार्थी की यह निगरानी सर्वथा असत्य एवं आधारहीन होने से निरस्त फरमाया जावे।

उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक परीक्षण किया गया। जिसके उपरान्त पाया गया कि निगराकार ने निगरानी मेमों में अंकित किया एवं दौराने बहस कथन किया कि ग्राम पंचायत द्वारा प्रश्नगत पटटे के संबंध में किसी प्रकार की पत्रावली संधारित नही की गयी एवं पंचायतीराज नियमों की पालना नही की गयी।

13.11.25
अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

निगराकार के उक्त कथन के संबंध में पत्रावली परीक्षण उपरांत जाहिर आया कि पत्रावली पर अधीनस्थ न्यायालय की सम्पूर्ण मिसल पत्रावली की प्रमाणित प्रति संलग्न है। मिसल पत्रावली के परीक्षण से जाहिर होता हैं कि प्रश्नगत पटटे हेतु विपक्षी द्वारा ग्राम पंचायत में आवेदन किये जाने पर पत्रावली कायम की जाकर प्रस्ताव ग्राम पंचायत कोरम मे रखा गया। मिसल पत्रावली में आज्ञाओं की सूची, पुश्तैनी मकान का नक्शा आबादी भूमि में, आक्षेप आमंत्रित सूचना पत्र, अनापत्ति प्रमाण पत्र पटटा शुल्क रसीद सभी दस्तावेज पंचायती राज नियमों के अनुसार संलग्न हैं। जिसमें कोई विधिक त्रुटि प्रतीत नही होती हैं। इस प्रकार निगराकार का कथन कि पत्रावली संधारित नही होकर नियमों की अवहेलना की गयी, निराधार सिद्ध होता हैं।

विपक्षी द्वारा मिसल पत्रावली की प्रमाणितशुदा प्रति पेश करने पर, मिसल पत्रावली सही अथवा गलत होने के प्रमाण स्वरूप कोई दस्तावेजात निगराकार द्वारा पेश नही किये गये एवं न ही मिसल पत्रावली के खण्डन मे कोई अन्य तथ्य व्यक्त किये गये।

उपरोक्त विवेचन अनुसार अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत ने उक्त प्रश्नगत मिसल संख्या 74/2019 दिनांक 01.01.2019 के जरिये पटटा संख्या 76 दिनांकित 05.09.2019 तत्कालीन नियमों व प्रावधानों के तहत गैर निगराकार को जारी किया गया, जिसमें कोई विधिक त्रुटि प्रतीत नही होती है। निगराकार की निगरानी सारहीन व आधारहीन एवं तथ्यहीन होने से स्वीकार योग्य नहीं ठहरती हैं। अतएव–

आदेश

निगराकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम के तहत तथ्यहीन, सारहीन एवं आधारहीन होने से अस्वीकार की जाती हैं। अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत परासोली द्वारा मिसल संख्या 74/2019 दिनांकित 01.01.2019 के जरिये पटटा संख्या 76 दिनांकित 05.09.2019 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति ग्राम पंचायत परासोली पंचायत समिति आसीन्द को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 13.11.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

13.11.25

(रणजीत सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
भीलवाड़ा

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाड़ा